रजिस्टर्ड–ए.डी.

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर

क्रमांकः–स्था / 2024 / 18

दिनांक :– 18.01.2024

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो. / परीक्षा प्रकोष्ठ / अधीनस्थ न्यायालय / आशुलिपिक / 2023 / 1515 दिनांक 28.07.2023 माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय के पत्र क्रमांक पत्र सं. G/IA-4(i)(a)151/22/60 दिनांक 16.01.2024 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड तृतीय के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह / दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी.(नियम) / 2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23700 / – रूपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं.	नाम अभ्यर्थी एवं पता (सर्वश्री / सुश्री / श्रीमती)	जन्म तिथि	मेरिट नंबर	रोल नंबर	मूल संवर्ग	नियुक्ति संवर्ग
1	सतीश बिश्नोई पुत्र श्री बिरमा राम, निवासी बाबा रामदेव कॉलोनी, चांदपोल के बाहर, जोधपुर	01.05.1997	55	39299	OBC	Gen
2	लक्ष्मण राम पुत्र श्री स्व. श्री वीरमा राम निवासी श्रवण नाडी, चीबी तहसील गिडा, जिला–बाडमेर	20.03.2000	80	29885	OBC	Gen
3	पूजा राठौड पुत्री श्री विशाल सिंह राठौड निवासी–राठौड पेाल, कुरड़ाया, मेडता, जिला नागौर	15.01.2002	106	34578	EWS	Gen

1. सभी आशुलिपिक की नियुक्ति आशुलिपिक ग्रेड तृतीय / द्वितीय की सुयक्त परीक्षा 2023 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं, भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णायाधीन रहेंगी।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीविक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे–मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
4. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार / माननीय उच्च न्यायालय के नियम / परिपत्र लागू होंगे।
7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम / परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
8. इस आदेश की प्राप्ति के 7 कार्य दिवस के भीतर इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
9. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।

10.अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11.पुलिस सत्यापन हेतु प्रारूप जो सलग्न दिया जा रहा है वह दो प्रतियों में भरकर/यथा स्थान फोटो चस्पा कर कार्यभार ग्रहण करते समय इस कार्यालय में पेश करना होगा।

12 कम सं. 1 पर नियुक्त आशुलिपिक पदभार ग्रहण के समय राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के नियम 25–ए(2) के प्रावधानानुसार उसके पिता, ससूर एवं पत्नि के हस्ताक्षरशुदा इस बाबत शपथपत्र पेश करेगा कि उसने विवाह के समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या अन्य किसी प्रकार से दहेज नहीं लिया है।

sd/-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जालोर

क्रमांक–स्था/2024/ 359-366 दिनांक :– 18.01.2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1– श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

2– लेखाकार, कार्यालय हाजा

3– संबंधित आशुलिपिक ग्रेड तृतीय की व्यक्तिगत पत्रावली

4– प्रतिलिपि श्री सतीश बिश्नोई/श्री लक्ष्मण राम/सुश्री पूजा राठौड को ATTESTATION FORM की फोटो प्रति सहित प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वक्त कार्यभार ग्रहण उक्त फार्म पूर्ति कर तथा निम्न दस्तावेजात इस कार्यालय में साथ लावें :–

1– शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र मूल एवं एक–एक फोटो प्रति

2– अंतिम शैक्षणिक संस्थान का मूल चरित्र प्रमाणपत्र

3– जाति एवं मूल निवास प्रमाणपत्र तथा विवाहित होने की स्थिति में विवाह पंजियन प्रमाणपत्र

जिला एवं सैशन न्यायाधीश
जालोर